

अध्याय-।

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (नि म ले प) का यह प्रतिवेदन सरकारी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं, विभाग द्वारा संचालित वाणिज्यिक उपक्रमों के चयनित कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित है।

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य है कि लेखा परीक्षित इकाइयों के व्यय और राजस्व प्राप्तियों से संबंधित लेन-देन का परीक्षण करते हुए, यह अभिनिश्चय करना है कि क्या भारत के संविधान, वर्तमान कानूनों, नियमों, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्गत अनेक आदेशों एवं अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है दूसरी ओर, निष्पादन लेखापरीक्षा में अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त यह भी परीक्षण किया जाता है कि क्या कार्यक्रम/क्रियाकलाप/विभाग के उद्देश्य मितव्ययता और दक्षता से अभिप्राप्त किए जा रहे हैं।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधायिका के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, प्रतिवेदन की महत्ता लेन-देन के प्रकार, मात्रा तथा परिमाण के स्तर के अनुरूप होने चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से अपेक्षा की जाती है कि ये कार्यपालक को सुधारात्मक उपाय करने तथा नीतियों और निर्देशों को निर्धारित करने में सहायक होगी जिससे संस्था का बेहतर वित्तीय प्रबन्धन होगा, इस प्रकार यह बेहतर शासन में योगदान करते हैं।

यह अध्याय आयोजना तथा लेखापरीक्षा की सीमा स्पष्ट करने के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं (स्कीमों) के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण त्रुटियों और सफलताओं, लेन-देन की लेखापरीक्षा के दौरान की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों और विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही का सार प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय ॥, ॥। तथा ॥। में सरकार के सिविल विभागों के लेखापरीक्षा परिणाम हैं जिसमें क्रमशः चयनित अनुयोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों की निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष, लेन-देन की अनुपालन लेखापरीक्षा तथा मुख्य नियन्त्रण अधिकारी आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष हैं जबकि अध्याय ॥। तथा ॥। में क्रमशः राजस्व प्राप्तियों एवं वाणिज्यिक क्रियाकलापों की समग्र स्थिति जिसमें लेन-देन लेखापरीक्षा पर अभ्युक्तियाँ तथा चयनित कार्यक्रमों क्रियाकलापों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित भी हैं।

1.2 लेखापरीक्षितों की रूपरेखा

राज्य में अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों/प्रबन्ध निदेशकों/निदेशकों के शीर्षत्व में 63 विभाग, 37 स्वायत्त संस्थायें, 20 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी कम्पनियाँ हैं जिनकी लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा की जाती है।

सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 तथा पूर्ववर्ती 2 वर्षों में किए गए व्यय की तुलनात्मक स्थिति निम्न तालिका 1.1 में दी गयी है-

तालिका 1.1

(₹ करोड़ में)

संवितरण	वर्ष 2008-09			वर्ष 2009-10			वर्ष 2010-11		
	आयोजना गत	आयोजने तर	योग	आयोज नागत	आयोजने तर	योग	आयोजना गत	आयोजने तर	योग
राजस्व व्यय									
सामान्य सेवायें	5.02	3098.95	3103.97	2.86	3691.48	3694.34	20.63	4159.52	4180.15
सामाजिक सेवायें	1441.73	1950.10	3391.83	1697.55	3282.73	4980.28	1723.79	3445.70	5169.49
आर्थिक	727.49	895.64	1623.13	594.93	1063.19	1658.12	728.07	1135.68	1863.75
सहायता अनुदान	0.06	274.71	274.77	3.70	321.03	324.73	0.01	407.67	407.68
योग	2174.30	6219.40	8393.70	2299.04	8358.43	10657.47	2472.50	9148.57	11621.07
पूँजीगत व्यय									
पूँजीगत परिव्यय	1902.49	113.85	2016.34	992.46	654.27	1646.74	1858.52	-3.68	1854.84
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	118.88	2.83	121.71	24.32	5.74	30.06	0	0	59.68
लोक ऋण का पुनर्भुगतान (अर्थोपाय अन्तिम के अन्तर्गत दिये गये लेन-देन को शामिल करते हुए	355.38			472.87			519.36		
आकस्मिकता निधि	32.05			71.42			536.71		
लोक लेखा संवितरण	13476.62			12321.83			17608.20		
योग	2021.37	116.68	16002.10	1016.78	660.01	14542.92	1858.52	-3.68	20578.79
महायोग	4195.67	6336.08	24395.80	3315.82	9018.44	25200.39	4331.02	9144.89	32199.86

1.3 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम-1971 से अभिप्राप्त हैं। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा नि म ले प के (क श से श) अधिनियम की धारा-13¹ तथा प्राप्तियों की लेखापरीक्षा धारा-16² के अधीन करते हैं। नि म ले प स्वायत्त संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक मात्र लेखापरीक्षक हैं जिनकी लेखापरीक्षा नि म ले प के (क श से श) अधिनियम की धारा 19(1)³, 19 (2)⁴ तथा 20 (1)⁵ के अधीन की जाती है। इसके अतिरिक्त नि म ले प, अन्य स्वायत्त संस्थाओं, जिनका पर्याप्त वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाता है, कि लेखापरीक्षा भी नि म ले प, की (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा शर्तें) अधिनियम की धारा 14⁶ के अधीन करते हैं। भारत के नि म ले प द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियिम-2007 विभिन्न लेखापरीक्षाओं के सिद्धान्त तथा पद्धति में विहित है।

1.4 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय की संगठनात्मक संरचना

प्रधान महालेखाकार (ले प), उत्तराखण्ड, देहरादून भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के निर्देशानुसार राज्य के सभी सरकारी विभागों/कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं/विभागीय रूप से संचालित वाणिज्यिक उपक्रमों तथा संस्थानों की लेखापरीक्षा सम्पादित करते हैं। प्रधान महालेखाकार तीन वर्गाधिकारियों द्वारा सहायतित है।

1.5 आयोजना तथा लेखापरीक्षण

लेखापरीक्षा की प्रक्रिया, सरकार के विभिन्न विभागों के राजस्व की प्राप्तियों अथवा किए गए व्यय, क्रियाकलापों की गम्भीरता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा सम्बंधित हितधारकों पर आधारित जोखिम के आंकलन से

¹ राज्य की समेकित निधि से सभी आदान-प्रदान, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा से संबंधित सभी आदान-प्रदान तथा सभी व्यापारिक, विनिर्माण लाभ-हानि लेखे, तुलनपत्र तथा अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

² राज्य की समेकित निधि में देय सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा।

³ सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न की जाएगी।

⁴ राज्य विधायक द्वारा अथवा उसके द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन स्थापित निगमों (जो कम्पनी न हों) की लेखापरीक्षा सम्बन्धित विधान के प्रावधानों के अनुसार।

⁵ राज्यपाल के अनुरोध पर किसी संस्था अथवा प्राधिकारण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसी शर्तों पर, जैसी नि.म.ले.प. तथा सरकार के मध्य सहमति हो।

⁶ (i) जहां कि किसी निकाय या प्राधिकारी का वित पोषण पर्याप्त रूप से किसी राज्य की संचित निधि में से अनुदानों या ऋणों द्वारा किया जाये उस निकाय या प्राधिकारी की सभी प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा (ii) किसी वित्तीय वर्ष में किसी राज्य की संचित निधि में से किसी निकाय या प्राधिकारी को दिया गया अनुदान या ऋण एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ ८० से कम न हो उस निकाय या प्राधिकारी की सभी प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा।

आरम्भ होती है। इस प्रक्रिया में विगत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है। इस जोखिम के आंकलन के आधार पर लेखापरीक्षा की बारम्बारता तथा कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाता है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों से युक्त निरीक्षण प्रतिवेदन विभागाध्यक्षों को निर्गत किये जाते हैं। विभागों से लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आख्या, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाता है। आख्या प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है अथवा आगे की अनुपालन की कार्यवाही के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में से महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां लेखापरीक्षा परीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती हैं, में सम्मिलित करने के लिए प्रक्रियागत की जाती हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान 415⁷ इकाइयों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा/मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए 4616⁸ लेखापरीक्षा दिवस उपयोग किए गए। हमारे आंकलन के अनुसार लेखापरीक्षा आयोजना में वे इकाइयां/संस्थाएं आच्छादित थीं जिनमें जोखिम था।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

विगत कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा के साथ-साथ आन्तरिक नियन्त्रण की गुणवत्ता, जो विभाग के कार्यक्रम तथा कार्य संचालन की सफलता को प्रभावित करता है, के माध्यम से अनेक कार्यक्रमों/कार्यकलापों के कार्यान्वयन में अनेक महत्वपूर्ण त्रुटियां प्रतिवेदित की हैं। इसी प्रकार सरकारी विभागों/संस्थाओं के अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञानित त्रुटियां भी प्रतिवेदित की हैं।

1.6.1 सिविल विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों/क्रियाकलापों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विषयक प्रस्तर

वर्तमान सिविल प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा तथा दो विषयक (थीमैटिक) प्रस्तर हैं। मुख्यांश निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये हैं।

1.6.1.1 सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान की निष्पादन लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि राज्य में इसका क्रियान्वयन वांछित लक्ष्यों से काफी पीछे था। त्रुटिपूर्ण नियोजन, निधियों को अवमुक्त करने में विलम्ब/निधियों के कम अवमुक्तिकरण तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निष्पादित

⁷ सिविल इकाइयां 271, राजस्व इकाइयां 106 तथा वाणिज्यिक इकाइयां 38

⁸ लेखापरीक्षा दल दिवस सिविल इकाइयां 2577, राजस्व इकाइयां 883 तथा वाणिज्यिक इकाइयां 1156

विविध संबंधित कार्यक्रमों के खराब क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के कारण समस्त वर्षों में निधियों का कम उपयोग हुआ। प्राप्त निधियों के कम उपयोग के कारण योजना ₹ 239.47 करोड़ की कटौती से भी प्रभावित हुई। पुनः संबंधित संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने, लेखाओं में अग्रिम को व्यय के रूप में इन्द्राज किये जाने व वित्तीय वर्ष के अन्त में निधियों का अधिकतम वितरण किया जाना उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद द्वारा खराब वित्तीय प्रबन्धन को परिलक्षित करता है।

विद्यालयों में मूलभूत एवं अवसंरचनाओं सुविधाओं जैसे- पेयजल, शौचालय, विद्युत, रसोई इत्यादि की कमी के कारण भी सर्व शिक्षा अभियान प्रभावित हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (क गां बा वि) के छात्रावास भवनों के निर्माण असाधारण रूप से विलम्बित थे। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण में विलम्ब हुआ। विद्यालयों में भी अध्यापकों की कमी एवं असमानुपातिक तैनाती थी। सर्व शिक्षा अभियान में विविध कार्यक्रमों के निष्पादन में प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र का अभाव था।

/प्रस्तर 2.1]

1.6.1.2 राजस्व विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा आबंटन

भूमि अर्जन अधिनियम (अधिनियम) 1894 में अस्तित्व में आया और अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को, इस अधिनियम को लागू किये जाने से सम्बन्धित सभी मामलों में अपने अधिकारियों को दिशा-निर्देश हेतु नियम बनाने/परिवर्तन करने/परिवर्धन करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि, राज्य के सृजन के एक दशक व्यतीत हो जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई नियम नहीं बनाया गया था। मुख्य राजस्व आयुक्त/मण्डल स्तर पर अभिलेखों के उचित रख-रखाव तथा आँकड़ों के संकलन तथा जनपदों से प्राप्त नियतकालिक सूचनाओं के समेकन की कोई व्यवस्था आस्तित्व में नहीं थी तथा विभिन्न आवश्यक सूचनाओं के लिए विभाग पूर्णतया जनपदीय प्राधिकारियों पर निर्भर था। भूमि अर्जन तथा आबंटन का कम्प्यूटरीकृत डाटा किसी भी स्तर पर किसी भी जनपद प्राधिकारी/मण्डल/सी आर सी द्वारा रख-रखाव नहीं किया गया था। चयनित जनपदों में शत-प्रतिशत अर्जन प्रक्रिया अत्यावश्यकता उपबन्ध के तहत सम्पादित की गयी थी। अत्यावश्यकता उपबन्ध के तहत भूमि अर्जन के प्रकरणों में भी भूमि का कब्जा लेने में अन्यथिक विलम्ब, अन्यथिकृत कार्य तथा अर्जित भूमि के उपयोग न किये जाने के प्रकरण थे। लेखापरीक्षा में, अर्जन प्रक्रिया में विलम्ब के प्रकरण भी पाए गये जिनमें अधिनिर्णय की उद्घोषणा से लेकर भू-स्वामियों को प्रतिकर का भुगतान तक विभिन्न स्तरों पर विलम्ब हुआ। भू-स्वामियों को प्रतिकर का अधिक तथा कम भुगतान दोनों प्रकार के प्रकरण भी लेखापरीक्षा के संज्ञान में आये।

राज्य में सरकारी अनुदान अधिनियम द्वारा शासित आबंटन में, भूमि का आबंटन सरकारी अनुदान अधिनियम में निर्धारित प्राथमिकता सूची के अनुसार किया जाना था, जिसमें

नियमों का उल्लंघन प्रकाश में आया। कई प्रकरण ऐसे थे जिनमें भूमि निजी तथा सरकारी दोनों संस्थानों को निःशुल्क आबंटित की गयी थी। सरकारी अनुदान अधिनियम के उल्लंघन के कई उदाहरण थे, जिनमें आबंटित भूमि का निर्धारित अवधि में न तो उपयोग किया गया था और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबंटन निरस्त किया गया था। आगे, आबंटित भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, जिसके लिए वह आबंटित की गयी थी। अधिकांश प्रकरणों में यह संज्ञान में आया कि भूमि के पट्टे जिनका प्रत्येक 30 वर्ष बाट नवीनीकरण किया जाना था, उनका नवीनीकरण नहीं किया गया था तथा पट्टाधारकों द्वारा बिना पट्टे के किराये का भुगतान किये, भूमि पर कब्जा जारी था।

/प्रस्तर 2.2/

1.6.1.3 लोक निर्माण विभाग द्वारा वनभूमि का गैर वानिकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग
लो नि वि द्वारा 17 खण्डों (77 खण्डों में से) की नमूना जाँच से उद्घाटित हुआ कि ₹ 497.35 करोड़ के 339 सड़क निर्माण कार्य वन भूमि की अनुमति न मिलने के कारण लम्बित रहे। इनमें से 142 कार्यों के सापेक्ष ₹ 229.16 करोड़ विभाग की अकर्मण्यता/शिथिलता के कारण अवरुद्ध पाए गए। इसके अतिरिक्त, 34 कार्य वन अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करके आरम्भ किए गए तथा उन पर किया गया ₹ 15.13 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ

/प्रस्तर 2.3/

1.6.1.4 समाज कल्याण विभाग द्वारा पैशन योजनाओं का क्रियान्वयन

योजनाओं के क्रियान्वयन में अपर्याप्त नियोजन के परिणामस्वरूप ₹ 10.12 करोड़ के पैशन का दुहरा भुगतान, मृतकों तथा अपात्र व्यक्तियों को हुआ। इसके अतिरिक्त, योजना निधि (₹ 58.04 करोड़) के अवरोधन तथा सर्वर एवं सॉफ्टवेयर के किराए पर लेने के कारण निष्फल व्यय होने (₹ 2.02 करोड़) के प्रकरण थे।

/प्रस्तर 2.4/

1.6.2 लेन-देन की अनुपालन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी विभागों/संस्थाओं के प्रभावी संचालन पर कुप्रभाव डालने वाली अनेक महत्वपूर्ण (गम्भीर) त्रुटियां प्रतिवेदित की हैं। इनका व्यापक रूप से निम्न प्रकार से श्रेणीकरण तथा वर्गीकरण किया गया है :

- ❖ नियमों का पालन न करना
- ❖ औचित्य के सापेक्ष /बिना औचित्य के व्यय की लेखापरीक्षा
- ❖ शासन की विफलता/अनदेखी

1.6.2.1 नियमों का पालन न करना

सार्थक वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नियन्त्रण के लिए, यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप किया जाये। यह न केवल अनियमितता, दुरूपयोग तथा कपट को रोकता है बल्कि अच्छा वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है। इस प्रतिवेदन में नियमों के पालन न करने

के कारण समाहित ₹ 7.07 करोड़ के उदाहरण है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:

- लो नि वि द्वारा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना सेतु निर्माण कार्य आरम्भ करने के कारण, अपूर्ण सेतु पर किया गया व्यय ₹ 1.59 करोड़ कर निष्फल रहा।

[प्रस्तर 3.1.1]

- खण्ड द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के तहत ठेका देने एवं अधिक मात्रा में सामग्री प्रयुक्त किये जाने के फलस्वरूप ₹ 83.66 लाख का अनौचित्यपूर्ण व्यय के साथ-साथ अधोमानक सङ्क निर्माण निष्पादित करवाया जाना

[प्रस्तर 3.1.2]

- केन्द्रीय सर्तकता आयोग के दिशा निर्देशों, के लो नि ले संहिता एवं शासन द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर लो नि वि के दो खण्डों द्वारा ₹ 8.48 करोड़ के व्याज रहित मोबलाईजेशन अग्रिम प्रदान किया था जो ठेकेदारों के लिये ₹ 1.12 करोड़ के लाभ का स्रोत सिद्ध हुआ।

[प्रस्तर 3.1.4]

- झीलों के संरक्षण और प्रबन्धन के लिए प्रावधानित निधि के व्यावर्तन से भीमताल झील के द्वीप में ₹ 1.48 करोड़ की लागत से एक मत्स्यशाला (एक्वेरियम) स्थापित करने से परियोजना के उद्देश्यों की क्षति।

[प्रस्तर 3.1.5]

1.6.2.2 औचित्य के सापेक्ष /बिना औचित्य के व्यय की लेखापरीक्षा

सार्वजनिक निधि से व्यय की अनुमति सार्वजनिक व्यय के औचित्य एवं दक्षता के सिद्धान्त से निर्देशित होती है। सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि व्यय करने के लिए वे वही सर्तकता रखें जो एक साधारण विवेकवाला व्यक्ति अपने धन के संबंध में रखता है तथा हर स्तर पर वित्तीय व्यवस्था तथा कठोर मितव्ययिता कार्यान्वित करे। लेखापरीक्षा ने ₹ 4.23 करोड़ के अनौचित्य तथा व्याधिक्य के मामलों का पता लगाया है, उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :

- अस्थाई खण्ड लो नि वि भवाली नैनीताल द्वारा दो सङ्क निर्माण कार्यों को सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व बढ़ी हुई आगणित दरों के साथ निविदित किया, जिसके परिणामस्वरूप कार्य पर ₹ 38.75 लाख का परिहार्य व्याधिक्य हुआ।

[प्रस्तर 3.2.2]

- निर्माण खण्ड (लो नि वि), पौड़ी के अन्तर्गत मार्ग निर्माण से सम्बन्धित लागत में सामग्री की कुछ मर्दों में वृद्धि द्वारा दो बार ठेकेदारों का लाभ भारित करने से ठेकेदार को ₹ 1.61 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

[प्रस्तर 3.2.3]

1.6.2.3 शासन की विफलता/अनदेखी

सरकार का दायित्व है कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करे जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास तथा अवस्थापना के उन्नयन और लोक सेवा आदि के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में कार्य करती है। तथापि लेखापरीक्षा के संज्ञान में ऐसे उदाहरण आए जिनमें समुदाय के लाभ के लिए लोक परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अवमुक्त राशि अनिर्णय, प्रशासनिक अनदेखी तथा विभिन्न स्तरों पर तालमेल के अभाव के कारण ₹ 9.58 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही तथा/अथवा निष्फल/अनुत्पादक सिद्ध हुई। ऐसे कुछ प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया गया है :

- बिना सर्वेक्षण किये गये एक सड़क का निर्माण कार्य, निर्माण खण्ड लो नि वि रुड़की द्वारा आई.आई.टी. रुड़की के विचार विमर्श के उपरान्त पुनः निर्मित करवाना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप प्रान्तीय खण्ड लो नि वि हरिद्वार ₹ 28.72 लाख की धनराशि का निर्थक व्यय किया गया।

[प्रस्तर 3.3.2]

- केन्द्रीय अंश प्राप्त करने में समाज कल्याण विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप जनजाति क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार के लिए त्यूणी देहरादून में निर्मित किए जा रहे अपूर्ण आवासीय विद्यालय भवन पर राज्यांश ₹ 1.50 करोड़ का अवरुद्ध हो जाना।

[प्रस्तर 3.3.5]

- परियोजना प्रबन्धक गंगा प्रदूषण इकाई द्वारा हर की पैड़ी, हरिद्वार के ऊपरी धारा की ओर लोकनाथ नाले के अवरोध और विपथन निर्माण कार्य पर ₹ 3.19 करोड़ व्यय करने के बाद निर्माण कार्य रोकने के कारण गंगा नदी में प्रदूषण न्यूनीकरण का लक्ष्य अप्राप्त रहा।

[प्रस्तर 3.3.6]

1.6.3 आयुष विभाग की मुख्य नियन्त्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग निवारक एवं उपचारात्मक उपायों, वहनीय एवं प्रभावी सेवाओं, आयुष शिक्षा के मानकों के उच्चीकरण, औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानकीकरण, अनुसंधान एवं विकास तथा इन पद्धतियों की प्रभाविता के विषय में जागरूकता के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु उत्तरदायी है।

विभाग केन्द्रित/मुख्य नियन्त्रण अधिकारी आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऐलोपैथिक केन्द्रों में आयुष सुविधाओं के विस्तार, अवस्थापना विकास, अवधि से पूर्व उत्तम औषधियों की आपूर्ति में अनेकों कमियां थीं। अपर्याप्त वित्तीय प्रबन्धन के

परिणामस्वरूप आबंटित बजट में बड़ी बचत हुई आयोजनेतर व्यय में इतनी बड़ी वृद्धि के कारण आयुष तथा रा ग्रा स्वा मिशन घटक के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का अल्प उपयोग हुआ। भण्डार की अभिप्राप्ति आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी। ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय औषधि निर्माणियों का अनुज्ञासियों के नवीनीकरण के संबंध में मानकों का पालन नहीं किया गया।

क्रियान्वयन संबंधी योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का उपयोग, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी पर राष्ट्रीय नीति-2002 के अनुरूप एक प्रलिखित नीति ऐलोपैथिक केन्द्रों में आयुष का एकीकरण, उपकरण तथा औषधि का अवस्थापना आधारित अभिप्राप्ति, आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र तथा वरिष्ठ प्रबन्धन का अनुश्रवण के संबंध में उत्तरदायित्व विचारणीय क्षेत्र है तथा इन पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

[प्रस्तर 4.1]

1.6.4 राजस्व प्राप्तियां

वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत राजस्व (₹ 5083.54 करोड़) सकल राजस्व प्राप्ति का 44 प्रतिशत था वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्तियों का शेष 56 प्रतिशत (₹ 6524.63 करोड़) भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों का विवरण नीचे तालिका 1.2 में दिया गया है :

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	(₹ करोड़ में)
राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत राजस्व				
कर राजस्व	3,044.91	3,559.04	4,405.48	
करेतर राजस्व	699.44	631.86	678.06	
योग	3,744.35	4,190.90	5,083.54	
भारत सरकार से प्राप्तियां				
संघ के शुद्ध केन्द्रीय कर तथा शुल्क का विभाज्य भाग	1,506.59	1,550.01	2,460.07	
सहायता अनुदान	3,384.03	3,745.22	4,064.56	
योग	4,890.62	5,295.23	6,524.63	
राज्य सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियां	8,634.97	9,486.13	11,608.17	

[प्रस्तर 5.1]

1.6.4.1 मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

सभी सॉफ्टवेयरों की विशेषताओं के उपयोग की मात्रा, प्रक्रिया की दक्षता तथा यथार्थता, और सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता तथा आंकड़ों (डाटा) की एकात्मकता के स्तर का

अभिनिश्चय करने के लिए मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण की निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी, कम्प्यूटरीकरण के पूर्व के वाहन के पंजीकरण (25-30प्रतिशत) तथा अनुज्ञसियों (80-90 प्रतिशत) से सम्बन्धित बकाया आंकड़े पूर्ण नहीं थे, जिससे सभी निर्गत अनुज्ञसियों तथा किये गये पंजीकरण का पूर्ण डेटाबेस होने का उद्देश्य विफल हो गया।

व्यापारिक कराधान नियम की रूपरेखा “वाहन “ सॉफ्टवेयर में सुनिश्चित नहीं की गयी जिसके कारण नगर बसों पर कर व्यापारिक प्रमाणपत्र तथा दुर्घटना राहत निधि का संग्रह नहीं किया गया हस्त (व्यक्तिगत रूप से) संग्रहीत कर/शुल्क की कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों के रूप में (डाटाबेस) में प्रविष्ट नहीं की गयी थी जो इसे दुरुपयोग की संभावना को बढ़ाती है। प्रतिदिन 50 अनुज्ञसि निर्गत करने की विहित सीमा के सापेक्ष क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी देहरादून तथा सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हरिद्वार ने औसतन क्रमशः 270 तथा 124 ड्राइविंग लाइसेन्स निर्गत किए जो चालन कौशल परीक्षण से समझौता प्रतिबिम्बित करता है। सॉफ्टवेयर में त्रुटि के कारण व्यक्तिगत हस्तक्षेप आवश्यक हो गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.58 लाख के कर/अतिरिक्त कर का संग्रह नहीं हुआ। अल्प संग्रह हुआ, विभाग में आन्तरिक सूचनाओं प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा प्रभाग नहीं था जो विभाग के कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण को प्रदर्शित करता है। विभाग में कम्प्यूटरीकरण का काम देखने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करने का अभाव था।

[प्रस्तर 5.2]

1.6.4.2 अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों के प्रति सत्यापन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

घोषणा पत्रों की पावती तथा प्रयोग की पर्याप्तता की सीमा, विश्वसनीयता तथा प्रभाविकता, प्रमाणिकता, छूट प्रदान करने के लिए शुद्धता तथा अनुमन्यता अभिनिश्चित करने के लिए "अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य में घोषणा पत्रों के लिए प्रतिसत्यापन पर निष्पादन लेखापरीक्षा" की गई। लेखापरीक्षा का लक्ष्य विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र की प्रभाविकता तथा पर्याप्तता अभिनिश्चित करना भी था।

यह उद्घटित हुआ कि विभाग ने सांविधिक प्रपत्र क्रम से जारी नहीं किए जिससे उनका दुरुपयोग तथा राजस्व की हानि हो सकती है। टिनएक्सिस में सॉफ्टवेयर माइूल के आंशिक क्रियान्वयन के कारण केन्द्रीय सर्वर पर प्रपत्र अपलोड नहीं किए जा रहे हैं जिससे प्रतिसत्यापन में बाधा आ रही है। घोषणा पत्रों के प्रतिसत्यापन से उद्घटित हुआ कि दो विक्रेता व्यापारियों को नकली प्रपत्रों पर ₹ 6.78 लाख की कर छूट दी गयी। प्रपत्र-सी पर एक तिमाही से अधिक तथा प्रपत्र एफ पर एक कैलेन्डर मास से अधिक अवधि के लेनदेन पर जिसमें ₹ 1.27 लाख का कार समाहित था अनियमित सुविधा/छूट की अनुमति दी गयी। पंजीकरण प्रमाणपत्र से अनाच्छादित सामान की खरीद पर ₹ 6.77

लाख की अनियमित कर सुविधा प्रदान की गयी। विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी जो कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण को प्रतिबिम्बित करती है।

[प्रस्तर 5.3]

1.6.4.3 लेनदेन की लेखापरीक्षा

- एक व्यापारी द्वारा अन्तर्राज्यीय क्रयों के विक्रय पर असाधारण हानि दर्शाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ₹ 11.08 लाख की अतिरिक्त देयता आरोपित नहीं की गयी।

[प्रस्तर 5.4]

- शीरे के किण्वीय शर्करा घटक से निर्धारित मानकों के सापेक्ष कम एल्कोहल के उत्पादन के परिणामस्वरूप ₹ 91.62 लाख के राजस्व की हानि हुयी।

[प्रस्तर 5.5]

1.6.5 वाणिज्यिक गतिविधियां

31 मार्च 2011 को राज्य में 20 कार्यरत तथा चार अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। इन उपक्रमों में कुल ₹ 6257.24 करोड़ का निवेश था कार्यरत सा क्षे के उपक्रमों ने ₹ 2539.52 करोड़ का व्यवसाय पंजीकृत किया। तौ उपक्रमों ने ₹ 75.41 करोड़ का लाभ कमाया तथा 11 उपक्रमों को ₹ 279.03 करोड़ की हानि हुयी। 20 उपक्रमों के 135 लेखे तैयार करने में 1 वर्ष से 24 वर्ष का विलम्ब था।

[प्रस्तर 6.1]

1.6.5.1 उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊर्जा वितरण गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) की निष्पादन लेखापरीक्षा ऊर्जा वितरण के संबंध में राष्ट्रीय विद्युत योजनाओं में विहित विभिन्न मानकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सम्पन्न की गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा में वितरण कम्पनी के कार्य के विभिन्न पक्ष यथा नेटवर्क की योजना एवं क्रियान्वयन, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन, प्रचालन की दक्षता, बिल प्रस्तुत करने तथा संग्रह की दक्षता, वित्तीय प्रबन्धन, उपभोक्ता सन्तुष्टि, ऊर्जा संरक्षण तथा अनुश्रवण आच्छादित किए गए।

यद्यपि कम्पनी की सबस्टेशन वृद्धि की कोई योजना नहीं थी तथापि कम्पनी ने वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान 62 सबस्टेशनों की वृद्धि की। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन 665 गांवों के लक्ष्य के प्रति कम्पनी 591 गांवों का विद्युतीकरण कर सकी। कम्पनी ने मार्च 2011 तक 2.28 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लक्ष्य की अपेक्षा 1.92 लाख संयोजन अवमुक्त किए। कम्पनी सबस्टेशनों तथा संबंध लाइनों के निर्माण के ठेके देने से पूर्व वन विभाग की अनुमति प्राप्त करने में

असफल रही। कम्पनी संशोधित गतिमान ऊर्जा विकास तथा सुधार कार्यक्रम (रिवाइन्ड एक्सेलरेटेड पावर डेवलेपमेन्ट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम) के सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य को पूरा नहीं कर सकी। कम्पनी ऊर्जा लेखापरीक्षा करने में असफल रही।

कम्पनी को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के मानकों से अधिक उप-प्रेरण तथा वितरण हानि के कारण ₹ 600.70 करोड़ के राजस्व की हानि उठानी पड़ी। परिवर्तन क्षमता तथा संयोजित भार में अत्यधिक अन्तर होने के कारण वितरण प्रणाली पर भारी बोझ पड़ा, वितरण परिवर्तकों (ट्रान्सफार्मर्स) की अत्यधिक असफलता तथा बड़ी मात्रा में ऊर्जा की हानि हुई।

निष्पादन लेखापरीक्षित अवधि में कम्पनी को हानि हुयी तथा कुल हानि वर्ष 2006-07 में ₹ 616.27 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 1960.11 करोड़ हो गयी। ऊर्जा खरीद की लागत 2006-07 में ₹ 742.92 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 2077.67 करोड़ हो गई क्योंकि कम्पनी को अधिकतम उपयोग के समय ऊर्जा उच्चतर दर पर क्रय करनी पड़ी।

कम्पनी शेष देयतायें वसूल करने में पर्याप्त और प्रभावी कदम उठाने में असफल रही जिसके कारण मार्च 2011 के अन्त में शेष देयतायें (वसूली) ₹ 1816.75 करोड़ हो गयी। कम्पनी पावर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन को अन्तरित परिसम्पत्तियों का मूल्य ₹ 188.81 करोड़ उत्तराखण्ड सरकार से वसूल नहीं कर सकी। अपर्याप्त अनुश्रवण तथा प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव में वितरण परिवर्तक (ट्रान्सफोर्मर्स) बिना मरम्मत के पड़े हैं। प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र के अभाव में अधिक मात्रा अनियमितताओं की संभावना में वृद्धि की।

लेखापरीक्षा ने सात अनुशंसाये की हैं जिनमें संयोजित भार में वृद्धि की गति के अनुरूप वितरण की क्षमता वृद्धि की गति बढ़ाने, गांव में विद्युतीकरण की दर बढ़ाने, केन्द्रीय सर्वकाता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करने तथा ठेकेदारों को ब्याज मुक्त गतिमान अग्रिम के भुगतान का परिहार करने, ठेका देने से पहले वन विभाग की अनुमति प्राप्त करने, मितव्ययी दर पर ऊर्जा की उपलब्धता के स्रोतों की खोज, शेष देयों की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा तुरंत एवं यथासमय कार्यवाही के लिए ऑन लाइन प्रबन्धन सूचना प्रणाली विकसित करना सम्मिलित है।

[प्रस्तर 6.2]

1.6.5.2 आदान प्रदान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

- भारत सरकार से मितव्ययी कुटीर (ईको हट) निर्माण के लिए प्राप्त ₹ 56.78 लाख की राशि कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा अन्य सुविधाओं के लिए व्यावर्तन के कारण लोग पर्यटन सुविधा से वंचित हुए।

[प्रस्तर 6.3]

- कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा पानी की सुविधा सुनिश्चित किए बिना पर्यटक विश्राम गृह निर्माण पर किया गया ₹ 1.02 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि आरम्भ से अब तक कोई भी वहां नहीं ठहरा।

[प्रस्तर 6.4]

- कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान को अनाधिकृत रूप से रोके जाने के कारण हिल्ट्राई को ₹ 21.24 लाख की हानि हुई।

[प्रस्तर 6.5]

- परियोजना के शीघ्र वर्तन के अभिप्रेत उद्देश्य की प्राप्ति के बिना ही एक परामर्श दायी फर्म पर अनुचित अनुग्रह से उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने ₹ 1.88 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

[प्रस्तर 6.6]

1.7 सरकार का लेखापरीक्षा के प्रति प्रत्युत्तरता का अभाव

1.7.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रधान महालेखाकार (ले प) लेन-देन की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं तथा अन्य अभिलेखों का निर्धारित नियमों तथा प्रक्रिया के अनुसार अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का आकस्मिक निरीक्षण सम्पादित करता है। इन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन (वित्त) की प्रति निरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों के साथ ही उच्चतर प्राधिकारी को भेजी जाती है। कार्यालय अध्यक्ष तथा उच्चतर प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने से चार सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रधान महालेखाकार (ले प) को प्रतिवेदित करना आवश्यक होता है।

मार्च 2011 की समाप्ति पर वर्ष 1990-91 से 2010-11 की अवधि में निर्गत 4076 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 11,104 प्रस्तर निपटान के लिए अवशिष्ट थे। अवशिष्ट नि प्र तथा प्रस्तरों का वर्षशः/विभागशः विवरण परिशिष्ट 1.1 में दिया गया है।

विभागीय अधिकारी निर्धारित अवधि में निरीक्षण प्रतिवेदनों में की गयी अभ्युक्तियों पर कार्यवाही करने में असफल रहे जिसके फलस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षरण हुआ। सरकार को मामले की जांच करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि (क) जो कर्मचारी अनुसूचित समय के अनुसार नि प्र प्रस्तरों का उत्तर देने में असफल रहे, के विरुद्ध कार्यवाही (ख) हानि/अवशिष्ट अग्रिम/अधिक भुगतान को समयबद्ध तरीके से पुनर्प्राप्त करने तथा (ग) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का तत्काल तथा उचित उत्तर सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

1.7.2 प्रस्तरों के प्रारूपों के प्रति विभागों का प्रत्युत्तर

प्रधान महालेखाकार द्वारा निष्पादन समीक्षा तथा प्रस्तरों की प्रतियां सम्बन्धित विभागों के आयुक्त/सचिवों को छः सप्ताह के अन्दर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए भेजी गयी थी। केवल सात लेखापरीक्षा प्रस्तरों/समीक्षाओं के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए। विभागीय विचार तथा स्पष्टीकरण जहां प्राप्त हुए और उपमुक्त थे प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए हैं।

1.7.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए आवश्यक है कि वे विधान सभा में प्रस्तुत करने के बाद चार महीने के अन्दर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित अभ्युक्तियों पर “कृत कार्यवाही टिप्पणी” के रूप में विस्तृत स्पष्टीकरण तथा उनकी प्रतियां लेखापरीक्षा कार्यालय को भी प्रस्तुत करें। तथापि परिशिष्ट 1.2 में वर्णित 47 विभागों ने मार्च 2012 की समाप्ति तक गठन से 2009-10 तक 129 प्रस्तरों पर कृत कार्यवाही टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

1.7.4 लोक लेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा किये जाने वाले / अन्तिम रूप दिये जाने वाले प्रस्तर

मार्च 2012 के अन्त में लोक लेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा/अन्तिम रूप देने के लिए लम्बित प्रस्तरों (सामान्य तथा सांख्यकीय के अतिरिक्त) का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 में दिया गया है।